न्यायालय जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी राजेन्द्र भट्ट (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 27/2019 आवन्टन निरस्त

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बिजौलिया जिला भीलवाडा	**बनाम**	1. मोतीलाल पिता मोहन रेगर निवासी सलावटियां तहसील बिजौलिया 2. लीलाबाई पिता मोहन रेगर निवासी सलावटियां 3. बाली बेवा मोहनलाल रेगर निवासी सलावटियां 4. सहकारी भूमि विकास बैंक माण्डलगढ
–प्रार्थी		–विपक्षी

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत नियम 14(4) कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन नियम, 1970

उपस्थित –
1. राजकीय अधिवक्ता – प्रार्थी की ओर से
2. विपक्षी बावजूद सूचना उपस्थित नहीं – एक तरफा कार्यवाही

निर्णय

दिनांक 18-03-2020

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) के अन्तर्गत विपक्षी के विरूद्ध प्रेषित कर निवेदन किया कि विपक्षी को ग्राम सलावटिया पटवार हल्का सलावटिया की आ.न. 1457/440 रकबा 0.03 बीघा भूमि किस्म बारानी तृतीय वर्ष 1975 को आवंटन कमेटी द्वारा आवंटन की गयी। आवंटी की मृत्यु होने पर आवंटी के वारिसान के नाम खातेदारी दर्ज रेकार्ड है। आवंटी (अप्रार्थी) द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं कर उल्लंघना की है। आवंटित भूमि पर आवंटी के वारिसान का मौके पर कभी भी कब्जा व काश्त नहीं है। आवंटी की आवंटनशुदा भूमि राजस्व नक्शें में तरमीम नही होने से आवंटी की आवंटन आराजी पर अलग अलग खातेदारों का कब्जा होना पाया गया। अतः अप्रार्थी के पक्ष में किया गया आवंटन निरस्त किया जाकर बिलानाम सरकार दर्ज किये जाने का आदेश फरमावें।

प्रार्थना पत्र दिनांक 18.06.2019 को इस न्यायालय में पंजीबद्ध किया गया तथा विपक्षी को वज़ह जाहिर हेतु नोटिस जारी किए गए। विपक्षी बावजूद सम्मन तामील के उपस्थित नहीं हुआ। विपक्षी के विरूद्व एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये जाते हैं।

प्रकरण में प्रार्थी की ओर से राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी गई। राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये बताया कि विपक्षी को ग्राम सलावटिया पटवार हल्का सलावटिया की आ.न. 1457/440 रकबा 0.03 बीघा भूमि किस्म बारानी तृतीय वर्ष 1975 को आवंटन कमेटी द्वारा आवंटन की गयी।

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

आवंटी की मृत्यु होने पर आवंटी के वारिसान के नाम खातेदारी दर्ज रेकार्ड है। आवंटी (अप्रार्थी) द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं कर उल्लंघना की है। आवंटित भूमि पर आवंटी के वारिसान का मौके पर कभी भी कब्जा व काश्त नहीं है। आवंटी की आवंटनशुदा भूमि राजस्व नक्शें में तरमीम नही होने से आवंटी की आवंटन आराजी पर अलग अलग खातेदारों का कब्जा होना पाया गया। प्रार्थी ने अप्रार्थी के पक्ष में किये गये आवंटन को निरस्त किया जाकर बिलानाम सरकार दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान करने की प्रार्थना की हैं। प्रार्थना पत्र के समर्थन में पटवार हल्का सलावटिया का मौका पर्चा , ग्राम सलावटिया की जमाबंदी संवत् 2075–2078 की प्रति प्रस्तुत की हैं।

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर उपलब्ध तथ्यों एवं दस्तावेजों का भलीभांति परीक्षण किया गया एवं बहस पर मनन किया गया। जिसके उपरान्त पाया कि पटवार हल्का की मौका पर्चा रिपोर्ट ग्राम सलावटिया में अंकित किया हैं कि ग्राम सलावटिया के आ.न. 1457/440 रकबा 0.03 बीघा भूमि किस्म बारानी तृतीय में मौके पर आवंटी के वारिसान का कब्जा काश्त नहीं हैं तथा मौके पर रास्ता भी निकल रहा हैं। ग्राम सलावटिया की आराजी नं. 1457/440 रकबा 0.03 बीघा भूमि आवंटी के वारिसान के नाम पर खातेदारी हक से दर्ज रिकार्ड है। राजस्थान कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवण्टन नियम 1970 के नियम 18(4) अनुसार खातेदारी प्राप्तशुदा भूमि का आवण्टन निरस्त नही किया जा सकता हैं। यदि खातेदारी दर्जशुदा भूमि पर खातेदार द्वारा किसी शर्त की अवहेलना की जाना सिद्ध होता हैं तो इसके लिए भू धारक तहसीलदार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 177 के अंतर्गत सक्षम न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर खातेदार को बेदखल कराने के लिये स्वतंत्र है। उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 14(4) विपक्षीगण के विरूद्व कार्यवाही इसी स्तर पर ड्रोप की जाना उचित हैं। अतएव–

आदेश

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) बाबत् भू–आवंटन निरस्तीकरण विरूद्व विपक्षीगण कार्यवाही इसी स्तर पर ड्रोप की जाती हैं। यदि खातेदारी दर्जशुदा भूमि पर खातेदार द्वारा किसी शर्त की अवहेलना की जाना सिद्ध होता हैं तो इसके लिए भू धारक तहसीलदार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 177 के अंतर्गत सक्षम न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर खातेदार को बेदखल कराने के लिये स्वतंत्र है। निर्णय की प्रति तहसीलदार बिजोलियां को संप्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 18-03-2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

18-3-2020

(राजेन्द्र भट्ट)
जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा